बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 18/25

उनवान

बृजमोहन पुत्र पन्ना जाति माली निवासी बरखेडा तहसील कनवास हाल मुकाम ग्राम धनेश्वर तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कनवास जिला कोटा। – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

दिनांक :– 11.09.2025

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि –

- माल ग्राम बरखेडा पटवार हल्का दातां तहसील कनवास में खाता सं. 70 नया के ख.न. 1083 रकबा 2.40 है. शामलाती आराजी स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/10 हिस्सा मौजूद है।
- उक्त वाद ग्रस्त आराजी में प्रार्थी के हिस्सा की आराजी पर रहन संपूर्ण हिस्सा सरकार जरिये 500/– का नोट अंकित है। उक्त नोट का अंकन होने के कारण प्रार्थी अपने आराजी का विकास कार्य करवाने हेतु बैंक से रहन प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- प्रार्थी उक्त नोट में अंकित राषि 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये अदा कर नोट हटवाने हेतु पटवारी हल्का महोदय से संपर्क किया गया परन्तु पटवारी हल्का महोदय द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी न्यायालय का आदेष लाने के उपरान्त राषि जमा कर नोट हटाने की बात कही। इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और यही इसकी विषय वस्तु है।
- अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रहन की राषि जमा करने एवं माल ग्राम बरखेडा पटवार हल्का दातां तहसील कनवास में खाता सं. 70 नया के ख.न. 1083 रकबा 2.40 है. शामलाती आराजी में प्रार्थी के 1/10 हिस्से पर अंकित नोट हटाये जाने के आदेष पारित करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

• उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ।

• मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा रहन की राषि 500/- जमा राज करवाने हेतु सहमति प्रदान की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी, भू.अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट एवं तहसीलदार कनवास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

-: आदेष :-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेष दिये जाते हैं कि - माल ग्राम बरखेडा पटवार हल्का दातां तहसील कनवास में खाता सं. 70 नया के ख. न. 1083 रकबा 2.40 है. शामलाती आराजी में प्रार्थी के 1/10 हिस्से पर अंकित रहन संपूर्ण हिस्सा सरकार जरिये 500/- का नोट हटाया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रार्थी द्वारा 500/- अक्षरे पांच सौ रूपये जमा राज करने के उपरान्त ही उक्त आदेष की पालना की जावे।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा